7 8

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि -1373-I-16

प्र.क. /2016 निगरानी

श्री ..... द्वारा आज दि. 2/5/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-5-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बलवीर सिंह यादव पुत्र श्री दंगल सिंह यादव आयु– 48 वर्ष, व्यवसाय पंचायत सचिव, निवासी ग्राम पाकरोड़, पोस्ट सारसखेडी, तहसील ईशागढ ब्लॉक ईशागढ, जिला अशोकनगर(म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1– मध्य प्रदेश शासन – द्धारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर (म.प्र.) ....अनावेदकगण

3 चंदनसिंह पुत्र ध्रुवराम सिंह निवासी– पाकरोड, तह ईशागढ जिला अशोकनगर

आदेश दिनांक 2/8/16 के पालन में पक्षकार बनाया गया

म.प्र. पंचायत राज एंव ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 सहपठित नियम–~~16~~ 36(4)

एंव अपील एंव रिवीजन रूल्स –1999

माननीय,

UK Sahu 2-5-16

आवेदक का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य:–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक के खिलाफ संतराम पुत्र लालाराम यादव द्धारा इस आशय की शिकायत की गयी थी कि ग्राम पंचायत पाकरोड में फर्जी मूल्याकंन कर लाखों रूपयें का धपला किया गया है जिस पर से जांच प्रतिवेदन दिनांक 28.7.2015 एंव पूरक प्रतिवेदन दिनांक 23.1.2016 तथा संगठन के परीक्षण टीप अनुसार आवेदक बलवीर सिंह यादव तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत पाकरोड (वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत बायंगा) जनपद पंचायत ईसागढ को वर्ष 2010–11 एंव 2011–12 में ग्राम पंचायत पाकरोड में सचिव के पद पर पदस्थी के दौरान विभिन्न पुलियों के निर्माण, प्राथमिक विधालय पिपरिया में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण, प्राथमिक विधालय पाकरोड में हेडमास्टर रूम निर्माण कार्य, खदरी का रपटा निर्माण वर्ष 2011–12 मं विधालयों में शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत में पौधा कय, इन्दिरा आवास एंव अन्य हितग्राही मुलक योजनाओं में की गई अनिमितताओं तथा भ्रष्टाचार में दोषी पाये जाने के कारण आवेदक बलवीर सिंह यादव को म.प्र. पंचायतराज एंव ग्राम स्वराज नियम 1993 के सहपठित नियम म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर द्धारा प्र.क. कमांक/जि.पं./पं.प्रको.–स्टेनो/16/303 में पारित आदेश दिनांक 12.4.2016 से आवेदक बलवीर सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1373–एक/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्रो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06–9–2016	आवेदक अभिभाषक एवं अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया। 2/ यह निगरानी म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 सहपठित नियम 36(4) एवं अपील तथा रिवीजन रूल्स 1999 के अन्तर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 247/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में स्थगन एवं ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम आदेश दिनांक 18–4–16 में प्रकरण ग्राह्य किया जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से उत्तर साहित अभिलेख मंगाने के आदेश दिये हैं परन्तु आवेदक के स्थगन आवेदन पर किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष अथवा निर्णय पारित नहीं किया है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त को उनके समक्ष सुनवाई में उठये सभी बिन्दुओं अथवा आवेदन पत्रों का निर्णय पारित करना चाहिए, जो अपर आयुक्त द्वारा नहीं किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के ग्राह्यता पर आदेश पारित किया परन्तु उनके द्वारा आवेदक की ओर से स्थगन के संबंध में प्रस्तुत आवेदन एवं शपथ पत्र के संबंध	

में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया है। चूंकि आवेदक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर के आदेश दिनांक 12–4–2016 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसमें प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जा चुका है। अतः इस निगरानी को संचालित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन का प्रश्न है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर के आदेश दिनांक 12–4–2016 के आदेश का क्रियान्यवयन आगामी तीन माह तक के लिए स्थगित किया जाता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष अपील ग्राह्य की जा चुकी है अतः प्रकरण में यथाशीघ्र सुनवाई की जाकर निराकरण हेतु अपर आयुक्त की ओर भेजा जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण इसी निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य